



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६८] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल १, १९७२/चैत्र १२, १८९४

No. 68] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st April 1972

SUBJECT:—Export Policy for Iron and Steel and Ferro-Alloys during the licensing period April 1972—March 1973.

No. 4-ETC(PN)/72.—It has been decided that export policy for Iron and Steel and Ferro Alloys for the licensing period April 1972-March 1973 will be as in the enclosed statement (Annexure).

ANNEXURE

Export Policy in respect of S. No. 9 (ii) of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 i.e. Iron & Steel other than Cast Pipes and Fittings.

Sl. No. as in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968	Name of the commodity as in Part 'B' of Schedule I	Licensing Period April, 72— March, 73	Licensing Policy	Remarks
9.	Metals, the following			
(ii)	Iron & Steel other than cast iron pipes and fittings:—			
(a) 1.	Slabs.			Not allowed.
2.	Blooms			
3.	Plates			
4.	Tinplates prime, secondary, waste waste.			
5.	Chequered plates			
6.	Skelp			
7.	C.P. Sheets			
8.	C.R. Sheets & Coils			
9.	H.R. Sheets & Coils			
10.	Wheels and tyres.			
11.	Axles			
12.	Sleeper (Pressed)			
13.	Steel wires (all types)			
14.	Wire rods other than mild steel wire rods.			
(b) 1.	Pig Iron (Basic and Foundry Grade)			Export licences will be issued to main producers only.
2.	Ingot.			
3.	Billets.			
4.	Heavy & Medium Structural (rolled by Main Producers)			
5.	Rails.			
6.	G.C. Sheets.			
7.	Alloy Constructional Steels			
8.	Electric Steel Sheets (Dynamo Grade)			
9.	Mild Steel Bars and rods including wire rods (other than those mentioned in Schedule B Appendix 41 of Import Trade Control Policy 1972-73), cold twisted bars and light structural (rolled by re-rollers)			Export licences will be issued to (a) main producers (b) Re-rollers and (c) The State Trading Corpn.
10.	All other items			
				ON Merits.

ANNEXURE

Export Policy in respect of Sl. No. 18 of Part 'B' of Schedule I to the Export (Control) Order, 1968—Ferro Alloys.

Sl. No. as in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968	Name of the commodity, as in Part 'B' of Schedule I.	Licensing period April, 72- March, 73	Licensing Policy	Remarks
---	--	--	---------------------	---------

18. *Ferro-Alloys :*

- | | |
|--|--|
| (i) Ferro Manganese (Other than Ferro Manganese containing less than 0.05% Carbon)/Ferro Manganese Slag. | Canalised through
MMTC
Export allowed. |
| (ii) Ferro-Chrome (Other than Ferro Chrome containing less than 0.03% Carbon and Nitrogen bearing Ferro Chrome) / Silico Chrome. | Export allowed |
| (iii) Others. | Export allowed on Merits. |

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

संख्या 4—ई टी सी (पी एन)/72.—यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंस अवधि अप्रैल, 72—मार्च, 1973 के लिये लोहा तथा इस्पात और लौह मिश्रधातु के लिए निर्यात नीति संलग्न विवरण (अनुबन्ध) के अनुसार होगी।

अनुबन्ध

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 की क्रम संख्या 9(2) अर्थात् ढलवां लोहे की पाइप तथा फिटिंग्स से भिन्न लोहा तथा इस्पात के सम्बन्ध में निर्यात नीति।

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिये अनुसूची 1 के भाग 'बी' के अनुसार पण्य-लिये अनुसूची 1 वस्तु का नाम के भाग 'बी' के अनुसार क्रम संख्या	लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1972 लाइसेंस नीति मार्च, 1972	टिप्पणियां
--	--	------------

1	2	3	4	5
9.	निम्नलिखित धातुयें :— (2) ढलवां लोहे की पाइप तथा फिटिंग्स से भिन्न लोहा तथा इस्पात :— (ए) 1. स्लैब्स 2. ब्लूम्स 3. प्लेट्स 4. टीन प्लेट्स प्राइम, सेकेण्डरी, बेस्ट बेस्ट 5. चकर्ड प्लेट्स 6. स्केल्य 7. जी० पी० शीट्स 8. सी० आर० शीट्स तथा लच्छे 9. एस० आर० शीट्स तथा लच्छे 10. चक्के तथा टायर 11. घुरी			अनुमेय नहीं है।

1

2

3

4

5

12. स्लीपर (प्रेसड)
13. सभी प्रकार के इस्पात तार
14. नर्म इस्पात तार राड से भिन्न तार राड

अनुमेय नहीं है ।

- (बी) 1. कच्चा लोहा (बैसिक तथा फाउन्ड्री ग्रेड)
2. सिलभी
 3. बिलेट
 4. भारी तथा मध्यम डांचे (मुख्य उत्पादकों द्वारा बेल्लित)
 5. रेल
 6. जी० सी० शीट
 7. मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पातें
 8. विद्युत् इस्पात शीट (छाइनोमो ग्रेड)
 9. बायर राड सहित (जो 1972-73 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुबन्ध 41, अनुसूची 'बी' में उल्लिखित किये गये हैं उनसे भिन्न) नर्म इस्पात पट्टी तथा छड़/कोल्ड व्यावृत्त पट्टी तथा प्रकीर्ण संरचनात्मक (रि-रालस द्वारा राड)
 10. अन्य सभी मर्बे

केवल मुख्य उत्पादक को ही निर्यात लाइसेंस जारी किये जायेंगे ।

निर्यात लाइसेंस (क)
मुख्य उत्पादकों (ख)
रि-रालस तथा (ग) राज्य व्यापार निगम को जारी किये जायेंगे ।

पात्रता के आधार पर ।

अनुबंध

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' की क्रम संख्या 18—लौह मिश्रधातु के सम्बन्ध में निर्यात नीति।

निर्यात (नियंत्रण) अनुसूची के 1 भाग 'बी' लाइसेंस अवधि
आदेश, 1968 के के अनुसार पण्यवस्तु अग्रेल 1972- लाइसेंस नीति रिप्लेणियां
लिये अनुसूची 1 का नाम मार्च, 1973
के भाग 'बी' के
अनुसार क्रम संख्या

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

18 लोह मिश्र धातु :—

- | | |
|--|---|
| (1) लौह मैंगनीज (0.05 प्रतिशत कार्बन से कम वाले लौह मैंगनीज से भिन्न)/ लौह मैंगनीज स्लैग। | खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध निर्यात अनुमेय। |
| (2) लौह क्रोम (0.03 प्रतिशत कार्बन से कम वाले लौह क्रोम तथा नाइट्रोजन वाले लौह क्रोम से भिन्न)।
सिलिको क्रोम। | निर्यात अनुमेय। |
| (3) अन्य। | निर्यात पात्रता के आधार पर अनुमेय। |

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।